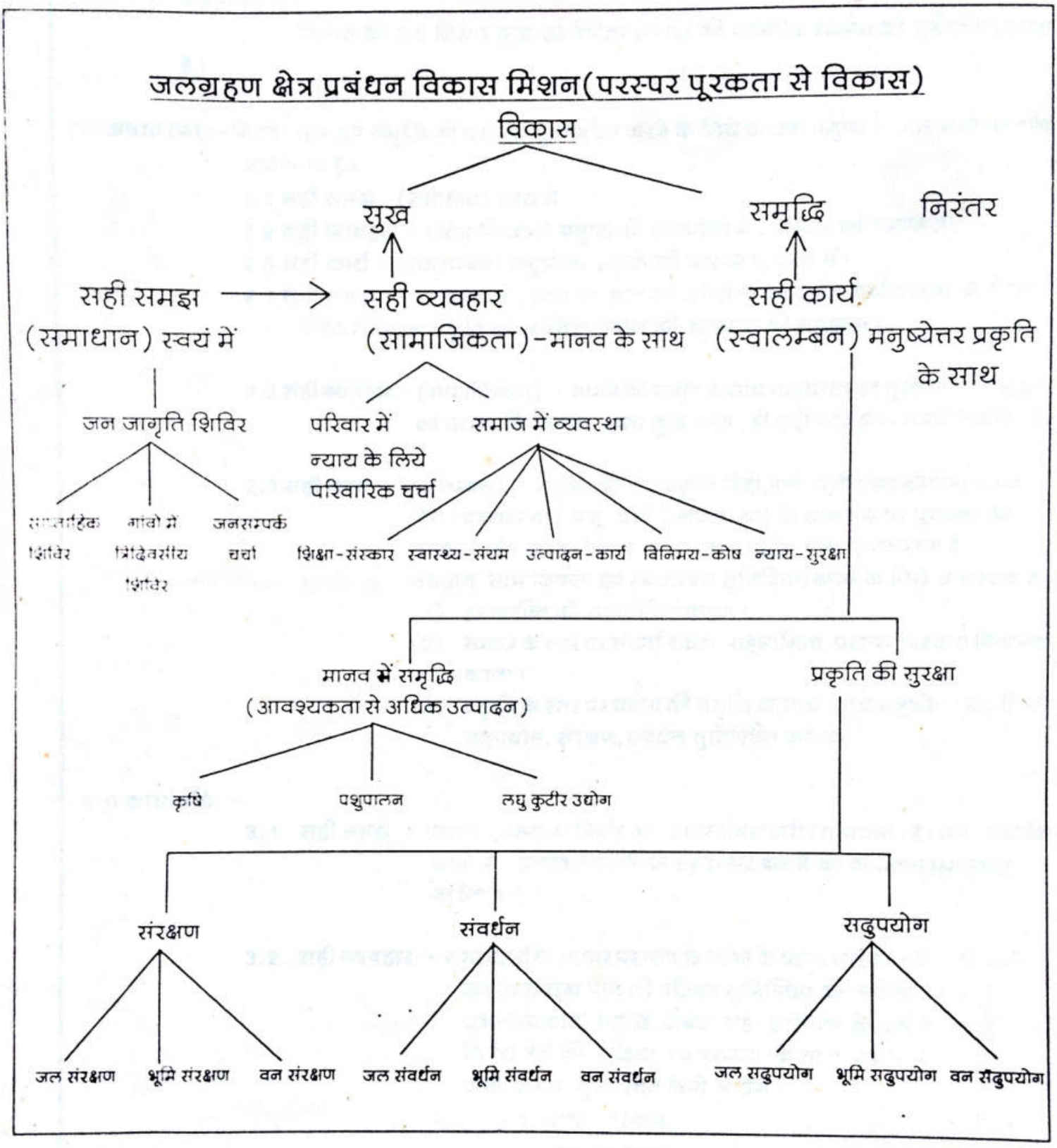
जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन विकास मिशन(परस्पर पूरकता से विकास)
विकास
सुख
समृद्धि
निरंतर
सही समझ
(समाधान) स्वयं में
सही व्यवहार
(सामाजिकता) - मानव के साथ
सही कार्य
(स्वालम्बन) मनुष्येत्तर प्रकृति के साथ
जन जागृति शिविर
परिवार में न्याय के लिये परिवारिक चर्चा
समाज में व्यवस्था
जनसम्पर्क चर्चा
शिक्षा-संस्कार
स्वास्थ्य-संयम
उत्पादन-कार्य
विनिमय-कोष
न्याय-सुरक्षा
मानव में समृद्धि
(आवश्यकता से अधिक उत्पादन)
प्रकृति की सुरक्षा
कृषि
पशुपालन
लघु कुटीर उद्योग
संरक्षण
संवर्धन
सदुपयोग
जल संरक्षण
भूमि संरक्षण
वन संरक्षण
जल संवर्धन
भूमि संवर्धन
वन संवर्धन
जल सदुपयोग
भूमि सदुपयोग
वन सदुपयोग

1.0 **लक्ष्य** :-गायत्री प्रज्ञापीठ आंवरी का जलग्रहण क्षेत्र विकास परियोजना से जुड़ने का मूल उद्देश्य मानव की मानव के साथ एवं मनुष्येत्तर प्रकृति के साथ परस्पर पूरकता को समझते हुए तथा निर्वाह करते हुए, प्रकृति समग्र की समृद्धि एवं विकास को प्राप्त करना है, इस अर्थ में हम इसे परस्पर पूरकता से विकास परियोजना भी कह सकते हैं।

विकास का अर्थ निरंतर सुख एवं निरंतर समृद्धि की मानवीय परम्परा को सुनिश्चित करना है।

2.0 **अवधारणा** :-निरंतर सुख एवं समृद्धि की परम्परा सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक मनुष्य में तीन बातों का होना आवश्यक है।

2.1 **सही समझ** -(समाधान) स्वयं में

2.2 **सही व्यवहार** - (सामाजिकता) मनुष्य की परस्परता में , परिवार एवं समाज में।

2.3 **सही कार्य** - (स्वालम्बन) मनुष्येत्तर प्रकृति की परस्पर पूरकता में।

2.1 **सही समझ** - :- (समाधान) स्वयं का ज्ञान एवं अस्तित्व का दर्शन अर्थात स्वयं से लेकर परिवार समाज, प्रकृति एवं अस्तित्व समग्र की व्यवस्था को समझना।

2.2 **सही व्यवहार** - (सामाजिकता) :- मानव की मानव के साथ परस्परता एवं पूरकता को समझना एवं उसका निर्वाह कर उभय सुख पाना , ही सही व्यवहार (सामाजिकता) है।

2.3 **सही कार्य** - (स्वालम्बन) :- मनुष्य की शेष प्रकृति मिट्टी,हवा,पानी (पदार्थावस्था),पेड़-पौधे (प्राणावस्था), पशु-पक्षी (जीवावस्था) के साथ परस्पर पूरकता को समझना और उसका निर्वाह कर उभय समृद्धि पाना स्वालम्बन है।
समधान, सामाजिकता एवं स्वालम्बन सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है।

(1) हर व्यक्ति को समाधानित करना।

(2) समाज के स्तर पर सामाजिकता, सहभागिता, परस्पर विश्वास विकसित करना।

(3) प्रकृति के स्तर पर मानव की समृद्धि के साथ-साथ मनुष्येत्तर प्रकृति का सदुपयोग, संरक्षण, संवर्धन सुनिश्चित करना।

3.0 **कार्यविधि** :-

3.1 **सही समझ** :- परस्पर पूरकता के निर्वाह का आधार समझदारी (समाधान) है। अतः संदर्भित ग्रामों में प्रत्येक व्यक्ति को समझदार बनाने का कार्यक्रम पूरा किया जायेगा।

3.2 **सही व्यवहार** :- समझदारी के आधार पर गांव के लोंगों के द्वारा परस्पर न्यायपूर्ण व्यवहार कर उभय सुख पाने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी। साथ ही सर्व शुभ-समाधान, समद्धि, अभय, सह-अस्तित्व के अर्थ में सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया एवं परम्परा के तहत समाज में व्यवस्था के पांचों आयाम सुनिश्चित किये जायेंगे।

1. शिक्षा-संस्कार
2. स्वास्थ्य-संयम
3. उत्पादन-कार्य
4. विनिमय-कोष
5. न्याय-सुरक्षा

3.3 **सही कार्य** :- समझदारी के आधार पर हर व्यक्ति स्वयं में और पूरा समाज सामूहिक रुप में मनुष्येत्तर प्रकृति के साथ अपनी पूरकता का निर्वाह कर स्वयं समृद्ध होने और प्रकृति को समृद्ध करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा। इस परस्पर पूरकता के निर्वाह के संदर्भ में निम्न दो बातें महत्व पूर्ण हैं

3.31 **मानव में समृद्धि (आवश्यकता से अधिक उत्पादन)** :- परस्पर पूरकता के अर्थ में आवश्यकता से अधिक उत्पादन सुनिश्चित करने के लिये आवर्तनशील उत्पादन कार्य विकसित व स्थापित किये जायेंगे।

3.32 **प्रकृति की सुरक्षा** :- प्रकृति की सुरक्षा के लिये उसका संरक्षण, संवर्धन, सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा।

3.321 **संरक्षण** :- प्रकृति की तीनों अवस्थाओं मिट्टी, पानी,हवा (पदार्थावस्था), पेड़, पौधे (प्राणावस्था), पशु,पक्षी (जीवावस्था) में विकसित विभिन्न प्रजातियों को प्रकृति के विकास क्रम को सुनिश्चित करने के अर्थ में बनाये रखना संरक्षण है।

3.322 **सदुपयोग** :- अस्तित्व का सहज व्यवस्था में जो जिस अर्थ में है उस अर्थ में इसका प्रयोग करना सदुपयोग है। सदुपयोग से ही संरक्षण एवं संवर्धन की निश्चितता है।

अतः प्रकृति की सुरक्षा के अन्तर्गत भूमि, जल एवं वन तीनों का संरक्षण, संवर्धन एवं सदुपयोग को सुनिश्चित किया जायेगा।

4.0 **कार्य योजना** :-

4.1 **सही समझ (समाधान)** :- उपरोक्त कार्यों को मूर्त रुप देने का क्रम निम्न प्रकार का होगा

जन जागृति शिविर :- (सही समझ समाधान के लिये) जन जागृति शिविर के माध्यम से विभिन्न आयु वर्ग के लोगों में समझदारी विकसित करने का कार्य पूरा किया जायेगा। कार्य योजनानुसार संदर्भित ग्रामों के विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के साथ सात दिवसीय शिविर, त्रिदिवयसीय शिविर, समूह चर्चा (जल ग्रहण समितियों, सचिवों एवं स्वयं सेवकों के शिक्षण,प्रशिक्षण) आदि के माध्यम से सही समझ सम्पन्न (सामाधानित) व्यक्ति तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया गया है।

इस शिक्षण, प्रशिक्षण से क्षेत्र के 100 परिवार, (जिनमें महिलाएं व बच्च भी शामिल हैं) जलग्रहण समिति के सदस्य , सचिव एवं स्वयं सेवकों के सही समझ करके सुख एवं समृद्धि के भाव में निरंतर वृद्धि कर रहे हैं।

4.2 **सही व्यवहार (सामाजिकता)** :- समझदार व्यक्तियों की सामूहिक राय से समाज में न्याय पूर्ण व्यवहार एवं सर्व शुभ के कार्यों को परम्परा के रुप में स्थापित किया जाएगा। इसके अन्तर्गत :-

4.21 **परिवार में <u>नयाय</u>** :- हर व्यक्ति मानवीय संबंधों में निहित अपेक्षायों मुल्यों को पहचान कर एवं उसका निर्वाह कर उभय सुख प्राप्त कर सके , इसे सुनिश्चित किया जाएगा। हर एक का परस्परता का निर्वाह कर सुख को प्राप्त करना ही न्याय है। इसके लिये प्रत्येक परिवार में कार्यों का निर्धारण एवं विभाजन स्नेह, सम्मान, शिष्टाचार को सुनिश्चित करने की दृष्टि से पारिवारिक चर्चा प्रारंभ की गयी है।

4.22 समाज में व्यवस्था :- समाज में व्यवस्था के लिये निम्न लिखित पाँच आयामों को सुनिश्चित किया जायेगा -

1. शिक्षा - संस्कार
2. न्याय सुरक्षा
3. उत्पादन - कार्य
4. विनिमय - कोष
5. स्वास्थय संयम

4.221 शिक्षा संस्कार - शिक्षा का अर्थ स्वयं से लेकर परिवार, समाज प्रकृति एवं अस्तित्व समग्र की सहज स्वीकार व्यवस्था को समझना। इस व्यवस्था में जीने की तैयारी कर लेना संस्कार है।

शिक्षा संस्कार कार्यक्रम को सुनिश्चित करने के क्रम में शिक्षण, प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए समस्त क्रियान्वयन दल, सचिव एवं स्वयं सेवक प्रशिक्षक के रुप में तैयार हो चुके हैं। संदर्भित ग्रामों के विभिन्न आयु वर्ग के लोंगों एवं महिला बचत समूहों के शिक्षण के लिए प्रत्येक दस परिवार के बीच एक प्रज्ञा केन्द्र की स्थापना की गई है। जहाँ शिक्षण, प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है।

4.222 न्याय सुरक्षा - मानव का मानव के साथ जो सम्बन्ध है उसको पहचानना उसका निर्वाह करना न्याय है। सम्बन्धों के पहचान के आधार पर सामाजिक निर्णय लिये जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। परिवारों में आपसी सामंजस्य बढा है, कोर्ट, कचहरी, आपसी मन मुटाव आदि कम हुए हैं।

मनुष्य का मनुषयेत्तर प्रकृति के साथ सम्बन्ध को पहचानना और निर्वाह कर उभय समृद्धि को प्राप्त करना सुरक्षा है। इस क्रम में प्राकृतिक ऐश्वर्य (मिट्टी, पानी, हवा, पेड पौधे एवं पशु पक्षी) के सदुपयोग, संरक्षण एवं संवर्धन की ओर ध्यान दे रहे हैं।

4.223 उत्पादन-कार्य - मनुष्य के अलावा शेष प्रकृति पर मनुष्य व्दारा किया गया श्रम कार्य एवं उससे प्राप्त वस्तु उत्पादन है। उत्पादन की प्रक्रिया चक्रीय क्रम में हो और इसमें भाग लेने वाले हर इकाई समृद्ध होती हो ऐसा सुनिश्चित किया जा रहा है।

फसल उत्पादन की प्रक्रिया फसल चक्र (आर्वतनशील) के अनुरुप एवं रासायनिक खादो के जगह कम्पोष्ट एवं जैविक खाद का प्रयोग आदि प्रारंभ किये जाने लगी है।

4.224 स्वास्य संयम - मनुष्य शरीर और जीवन(मन) का संयुक्त रुप है। शरीर की ऐसी स्थिति जिसमें वह जीवन के अनुसार कार्य कर पाता है, स्वास्थ है शरीर का स्वस्थ रखने के लिए शरीर के पोषण, संरक्षण,सदुपयोग की जिम्मेदारी की जीवन में स्वीकृति का भाव ही संयम है।

शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जंगली जड़ी-बुटीयों का संग्रहण, औषधि-उद्यान,नर्सरी स्थापना एवं समय-समय पर नेत्र शिविर, स्वास्थ चिकित्सा शिविर, पाक- प्रशिक्षण, शिशु स्वास्थ्य परीक्षण, गांव स्वच्छ आदि कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

4.3 सही कार्य (स्वावलंबन)

4.31 मानव में समृद्धि को सुनिश्चित करने के क्रम में लघु कुटीर उद्योग को बढावा पशुपालन, मत्सय पालन, उन्नत कृषि, फल उद्यानिकी,रेशम कीट पालन, सब्जी उत्पादन, वनोषधि संग्रहण एवं विपणन, आदि का कार्य किया जा रहा है।

4.32 **प्रकृति की सुरक्षा** - समझदारी सम्पन्न ग्रामीणों के लिए प्रकृति के साथ परस्पर पूरकता को पहचानना सहज होगा। इस पहचान के आधार पर वे प्रकृति के सुरक्षा के अन्तर्गत -

1. संरक्षण
2. संवर्धन
3. सदुपयोग

को सुनिश्चित कर पायेंगें।

4.321 **संरक्षण** - परस्पर पूरकता के पहचान के बाद प्रकृति का संरक्षण सहज होगा और प्रकृति को पहुंचाई जा रही क्षति रुकेगी। जिन संसाधनों को मनुष्य व्दारा इस हद तक क्षति पहुंचाई गई कि उनसे जुड़ी प्रकृति सहज आर्वतनशील प्रक्रिया भी बाधित हो गई है, उनके लिए इन आर्वतनशील प्रक्रियाओं को पुर्नस्थापित करने की दृष्टि से क्षति पूर्ति करने की आवश्यकता होगी। इस दृष्टि से,

भूमि संरक्षण,
जल संरक्षण,
वन संरक्षण,

को सुनिश्चित किया जा रहा है।

4.3211 **भूमि संरक्षण** - भूमि संरक्षण के अन्तर्गत वर्षा जल के प्रवाह को कम करने के लिए सी.सी.टी., गली बांध, बोल्डर बांध, नढी पथ उपचार, मेढ स्थायित्व, ब्रश उड,चारागाह, नर्सरी, वनीकरण आदि कार्य किया गया है।

4.3212 **जल संरक्षण** - जल सरंक्षण के अन्तर्गत मेढ डालना,परकोलेशन टेंक का निर्माण, खेतों में जल संग्रह (डबरी) नाला,बंधाना, मरम्मत आदि का कार्य किया गया है।

4.3213 **वन संरक्षण** - वनों को संरक्षित करने के लिए पशु रक्षक नाली निर्माण, धूंआ रहित चूल्हा का निर्माण, गोबर गैस संयंत्र की स्थापना की गई है। वन सुरक्षा के लिए प्रत्येक ग्रामों में वन सुरक्षा के लिये प्रत्येक ग्रामों में वन सुरक्षा समिति का गठन किया गया है। अनाज उत्पादन के बाद नमी, चूहे , कीट पंतगों एवं पक्षी से होने वाले 10 प्रतिशत नुकसान से बचाने के लिए अन्न सुरक्षा अभियान आदि कार्यक्रम संचालित किये गये है।-

4.322 संवर्धन

प्रकृति सहज विकास को स्थापित करने की दृष्टि से संरक्षण के साथ साथ संवर्धन को भी सुनिश्चित किया जायेगा। इसके तहत निम्न कार्य लिये गये हैं।

1. जल संवर्धन,
2. भूमि संवर्धन,
3. वन संवर्धन,

4.3221 **जल संवर्धन** - भूमि में जल के संवर्धित करने के लिए भूमिगत बंधारा एवं नाला- बांध, प्रक्षेत्र पोखरों का निर्माण, सड़क किनारे तालाबों का निर्माण, परकोलेशन टेंक, विस्तारी तालाब मरम्मत आदि का कार्य किया गया है।

4.3222 **भूमि संवर्धन** - भमि संवर्धन के अन्तर्गत फसल चक्र, पौधरोपण, जैविक एवं कम्पोष्ट खाद निर्माण, नाला व्यपवर्तन आदि कार्य किया गया है।

4.3223 **वन संवर्धन** - जल ग्रहण क्षेत्र के वनों को संवर्धित करने के लिए आम रोपण, काजू रोपण, पौध शाला नर्सरी निर्माण, औषधि उद्यान स्थापना किया गया है। वाटर शेड क्षेत्र के घरों के बाड़ियों में बीजू आम, आंवला, बेर के पौधों को ग्रापिटंग एवं बड़िग व्दारा उन्नत प्रजाति में परिवर्तित किया गया है।

पशु पक्षियों के संवर्धन के लिए क्षेत्र के समस्त ग्रामों में पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन पशुओं के नस्ल सुधार हेतु सामुहिक बधिया करण कर अच्छे नस्ल के सांडो एवं कृत्रिम गर्भाधान व्दारा पशु के नस्ल सुधार पर जोर, पशु पालन आदि का कार्य किया गया, जिसका परिणाम आना प्रारंभ हो गया है।

4.323 **सदुपयोग** - हर व्यक्ति के शरीर के पोषण, संरक्षण एवं सदुपयोग के रुप में आवश्यक सुविधाओं के पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग को समझदारी एवं सामूहिक सहमति के आधार पर सहजता से सनिश्चित किया जा सकता है और दुरुपयोग को रोका जा सकता है। इसके अन्तर्गत -

जल सदुपयोग
भूमि सदुपयोग
वन सदुपयोग
को सुनिश्चित किया जा रहा है।

4.3231 **जल सदुपयोग** - जल सदुपयोग के अन्तर्गत फौव्वारा सिंचाई, सिंचाई नाली विस्तार, घरों के जल निकास पर फलदार पौधे, सब्जी, भाजी लगाना आदि कार्यक्रम लिये गये हैं।

4.3232 **भूमि सदुपयोग** - भूमि की सदुपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए फसल चक्र, ढलहन, तिलहन, फसलों पर जोर, किसी भी भूखण्ड को खाली नहीं छोड़ने का अभियान, फलदार, वनीय एवं उद्यानिकी पौधे का रोपण, जैविक एवं कम्पोष्ट खाद निर्माण हेतु नेड़ेप खाद गढ्ढा निर्माण, गोबर गैस संयंत्र की स्थापना आदि कार्य किया गया है।

4.3233 **वन सदुपायोग** - वन की सदुपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक ग्रामों में वनीकरण समिति गठित की गई है। लकड़ी के कम खपत के लिए प्रत्येक हितग्राहियों के घर धूआं रहित चूल्हा की स्थापना, गोबर गैस संयंत्र की स्थापना की गई। वनीय औषधी- पौधों की पहचान एवं उससे आयुर्वेदिक पद्धति से चिकित्सा पर जोर, पहचान के लिए औषधि की वाटिका, वन औषधियों का संग्रह आदि किया गया है।प्रत्येक घर में आम, मुनगा, कटहल, जामुन, अमरुद आदि पौधों का रोपण किया गया है।

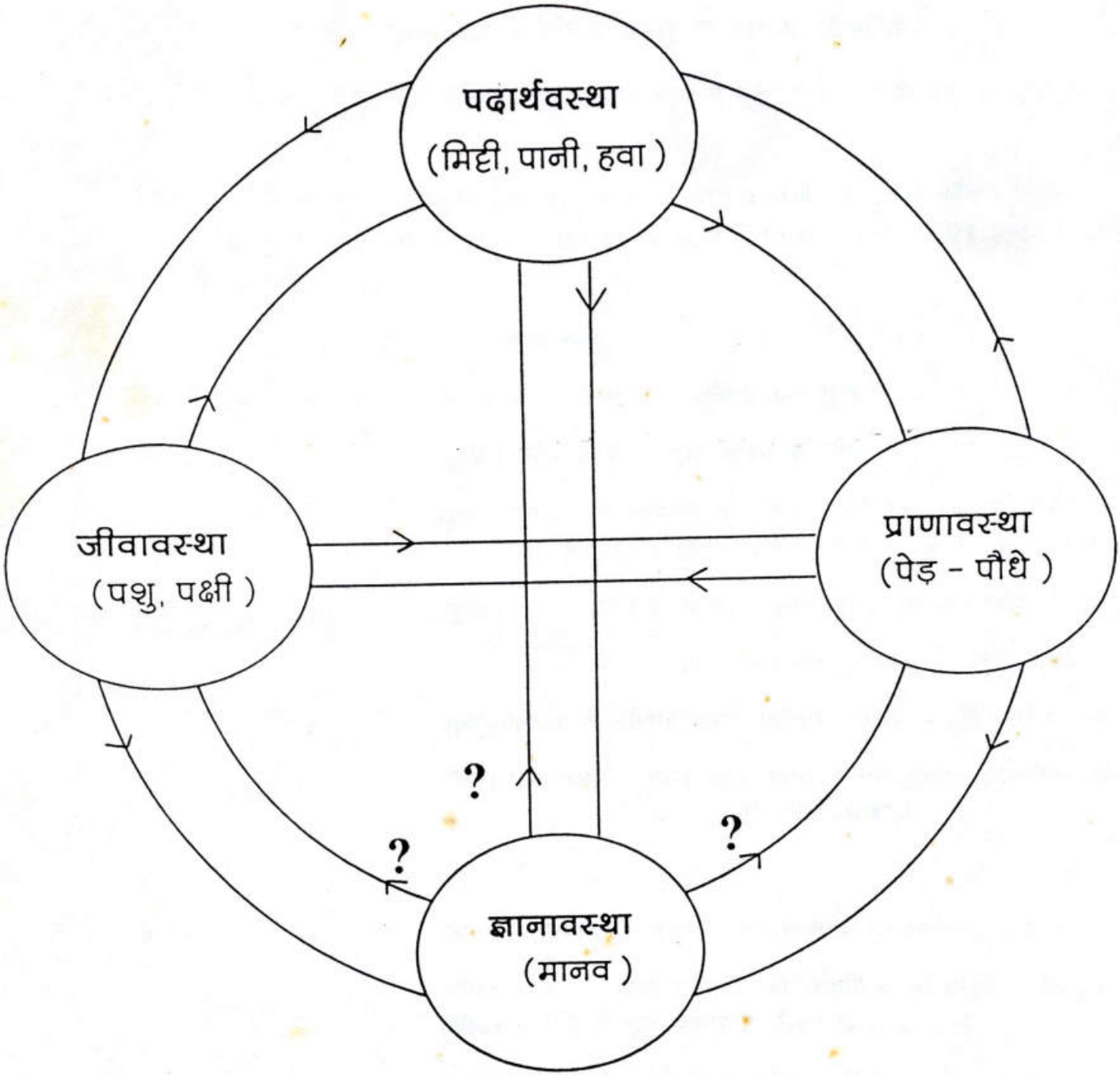

प्रकृति की चारों अवस्थाओं में परस्पर पूरकता